केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

दिनांक: 19.12.2019

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2019/316

संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2019/00213
CICOM/R/2019/00679

अपीलकर्ता : श्री महादेव, पुत्र - श्री रामअजोर,
ग्राम - रामदासपुर, पो0 - इनायतपुर,
ब्लॉक - कूरेभार, जिला - सुल्तानपुर,
उत्तर प्रदेश ।
मो0 - 9198774834.

निर्णय की तारीख: 19.12.2019

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	31.08.2019
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	04.10.2019
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री के. एल. दास
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	04.12.2019
प्रथम अपील की डायरी सं.	20188/12.12.2019

अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 30.08.2019 को केन्द्रीय सूचना आयोग में आर.टी.आई. आवेदन प्रेषित की गई थी । अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील आवेदन में उल्लेख किया गया है कि निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बाद भी उन्हें बिंदुवार सूचनाएं प्राप्त नहीं है तथा बिंदुवार सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया गया है ।

आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से मांगी गई सूचना का संक्षिप्त ब्यौरा:

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 31.08.2019 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से दिनांक 02.07.2019 को केन्द्रीय सूचना आयोग को प्रेषित द्वितीय अपील के संदर्भ में उक्त द्वितीय अपील की डायरी सं., सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि एवं सुनवाई VC द्वारा किए जाने हेतु जारी पत्र की प्रति की मांग की गई थी ।

प्रथम अपील की सुनवाई:

2. प्रस्तुत प्रथम अपील का तर्कसंगत निस्तारण हेतु अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील आवेदन में दिए गए मोबाइल नं. 9198774834 पर अपीलकर्ता से दिनांक 18.12.2019 एवं 19.12.2019 को संपर्क करने की कोशिश की गई परन्तु दिनांक 19.12.2019 को उनकी पत्नी ने मोबाइल उठाया तथा दूसरी बार उनकी पुत्री द्वारा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में फोन किया गया, जिन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं थी । इस प्रकार कई बार कोशिश करने के बावजूद भी अपीलकर्ता से संपर्क नहीं हो पाया, अत: उपल्बध दस्तावेजों के आधार पर ही आदेश जारी करने का निर्णय लिया गया ।

निष्कर्ष एवं निर्णय:

3. अपीलकर्ता द्वारा दिए गए मोबाइल नं. **9198774834** पर अपीलकर्ता से संपर्क करने की कोशिश नाकाम होने होने के बाद संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन, आर.टी.आई. आवेदन एवं प्रदान की गई सूचना) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता का दिनांक 31.08.2019 का उक्त आर.टी.आई. आवेदन जो कि केन्द्रीय सूचना आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में दिनांक 09.09.2019 को प्राप्त हुआ तथा आर.टी.आई. प्रकोष्ठ द्वारा दिनांक 11.09.2019 को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु आवेदन को श्री के.एल.दास, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को अग्रसारित किया गया एवं श्री के.एल.दास, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि आर.टी.आई. आवेदन प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर ही पत्र सं. CICOM/R/2019/00679-DR(IC-BJ) के माध्यम से दिनांक 04.10.2019 को वांछित बिंदुवार सूचना अपीलकर्ता को प्रेषित कर दी गई है जिसमें डायरी सं., द्वितीय अपील सं. सहित अपील पंजीकृत होने की सूचना एवं सुनवाई प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी दी गई है । केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी श्री के. एल. दास, द्वारा प्रेषित की गई सूचनाएं बिल्कुल तथ्यानुसार एवं स्पष्ट हैं तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । अपीलकर्ता के सुलभ संदर्भ हेतु श्री के. एल. दास द्वारा प्रदान की गई सूचना की प्रति इस आदेश के साथ पुन: संलग्न है।

O/C

C.I.C. RECEIVED
19 DEC 2019
D. No.........
Initials.........

---2/-

4. तद्नुसार प्रथम अपील निस्तारित की जाती है ।

5. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है ।

संलग्नक - के.ज.सू.अ. द्वारा प्रदान की गई सूचना की प्रति ।

19.12.19

(योगेश कुमार सिंघल)
संयुक्त सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. Sh. K. L. Das, CPIO & DO to IC (BJ), CIC, New Delhi.

Surender
19/12/19